



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

विज्ञापन सं० - 02/2025

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु सूचना।

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में प्राध्यापक के रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के सकल्प सं०-1003 दिनांक-22.01.2021 के तहत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली-2008 एवं सशोधन नियमावली 2013 तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा नियोजन हेतु मापदंड/शर्तें:-

1. प्राध्यापक के रिक्त पदों पर यह नियोजन 01 (एक) वर्ष अथवा नियमित प्रोन्नति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।
2. **अर्हता** - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के TEQ के अनुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में तीन वर्षीय सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर एवं सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्य करने के उपरान्त सह-प्राध्यापक के पद पर न्यूनतम 03 वर्षों का अध्यापन का अनुभव एवं सह-प्राध्यापक के पद पर रहते राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में 02 शोध प्रकाशन प्रकाशित किये गये हो और उनमें उनका नाम पहले तीन लेखकों में से एक होना आवश्यक है। किसी चिकित्सक को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाएगा, जब वह उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके अधीन उसने अपना लेख (पेपर) तैयार किया हो, से उक्त आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3. चयन का आधार-

शैक्षणिक योग्यता के लिए मूल्यांकन -

अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मूल्यांकन आवंटित किए जाएंगे -

(क)	एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० विश्वविद्यालय के विभिन्न रात्रों के परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग का प्रतिशत	70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
	प्रदान किया जाने वाला अंक	5	4	3	2	1

नोट:- (a) एक या अधिक एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले, खास एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

(b) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ०एम०जी०ई०) के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा कर के किया जायेगा।

(ख)	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक	70 प्रतिशत से उपर	65 प्रतिशत से उपर	60 प्रतिशत से उपर	55 प्रतिशत से उपर	50 प्रतिशत से उपर
	प्रदान किया जाने वाला अंक	5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशियलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

(ग) सह-प्राध्यापक के रूप में चिकित्सा शिक्षा का कार्यानुभव-

10 अंक

(अतिरिक्त प्रति पूर्ण वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)

(किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 02 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)

1054/17/
23-09-25

23/09/25

नोट:— (a) चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव से तात्पर्य है बिहार राज्य के अतर्गत सभी सरकारी/गैर निजी (केन्द्र सरकार, पंचायत, नगर निकाय द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो) संस्थानों में सह-प्राध्यापक के पद के रूप में किया गया कार्यानुभव।

(b) ऐसे एम०आर०सी०पी०, एफ०आर०सी०एस० आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

4. (क) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।
(ख) जर्नल में प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अद्यतन दिशा-निर्देश ही मान्य होगा।
5. जिन अभ्यर्थियों की डिग्री की मान्यता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से प्राप्त नहीं है, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. सविदा पर नियोजन के उपरांत बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग में पूर्व से कार्यरत चिकित्सक जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वही वेतन, महगाई भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्ते के साथ देय होंगे।
7. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग के वैसे चिकित्सक जो सह-प्राध्यापक (सविदा) पद पर कार्यरत हैं, को उक्त हेतु विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट— बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सवर्ग के नियमित सह-प्राध्यापक इस पद हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

8. उम्र सीमा (01.08.2025 को अधिकतम) —

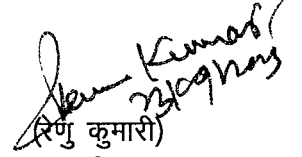
- प्राध्यापक के लिए दिनांक—01.08.2025 को अधिकतम उम्र सीमा 66 वर्ष होगा।
- बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा सवर्ग से सेवा निवृत्त प्राध्यापकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 69 वर्ष होगी।

9. (i) सविदा नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के आवेदक सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण पत्र अवश्य सलग्न करेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को क्रिमीलेयर रहित का प्रमाण पत्र समर्पित करने पर ही देय होगा। क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित कोटि में माने जाएंगे। महिला आवेदक को नियमानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षण देय होगा।

(ii) आवेदक counselling के समय अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं आवश्यकतानुसार अग्रसारण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

10. मानदेय :- (1) प्राध्यापक — रु0 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रु0)
(2) सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के सकल्प सख्या—10000, दिनांक—10.07.2015 की कड़िका—06(i) के अनुसार किया जायेगा।
11. विभागवार रिक्तियों की सूची सलग्न है। रिक्तियों घट-बढ़ भी सकती हैं।
12. अभ्यर्थी स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट— <https://state.bihar.gov.in/health> के Latest News में जाकर विहित प्रपत्र में सूचना दिनांक—03.10.2025 से दिनांक—20.10.2025 तक भरना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित हो सके।
13. चिकित्सकों को शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अनुभव एवं प्रकाशन संबंधी प्रमाण-पत्रों आदि की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसके सबंध में अलग से विस्तृत सूचना प्रकाशित की जायेगी।

1054/17/
23.09.25


रिणु कुमारी
विशेष कार्य पदाधिकारी।

क्र० सं०	विभाग का नाम	बेकलॉग / चालू रिक्ति से	अनुसूचित जाति (1)		अनुसूचित जनजाति (2)		अत्यंत पिछड़ा वर्ग (3)		पिछड़ा वर्ग (4)		पिछड़े वर्गों की महिलाएं (5)	अनारक्षित (6)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (7)		कुल रिक्ति पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नातीनी को 2 %	दिव्यांग को 4 %			
			कोटिवार रिक्ति संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या		कोटिवार रिक्ति संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या			वी० आई०	डी० डी०	ओ० एच०	एम० डी०
15	शिशु रोग	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	6	2	1	0	10	0	0	0	0	
		चालू	2	0	0	0	0	0	0	1											
16	पी०एम०आर०	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	6	2	1	0	13	0	1	0	0	
		चालू	1	0	0	0	3	1	2	0	0										
17	रेडियोलॉजी	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	8	3	2	0	20	0	1	0	0	
		चालू	4	1	1	0	3	1	2	0	0										
18	चर्म एवं रक्ति रोग	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	7	2	1	0	14	0	1	0	0	
		चालू	2	0	0	0	2	0	2	0	0										
19	टी०वी० एवं चेस्ट	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	6	2	1	0	14	0	1	0	0	
		चालू	3	1	0	0	3	1	1	0	0										
20	जेरियाट्रिक्स	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	3	1	0	0	6	0	0	0	0	
		चालू	1	0	0	0	1	0	1	0	0										
21	रेडियोथेरापी	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	6	2	2	0	16	0	1	0	0	
		चालू	3	1	0	0	3	1	2	0	0										
22	सर्जरी विभाग	बैकलॉग से	1		0		3		0		1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
		चालू	0	0	0	0	1	0	0	0	0										
23	फार्माकोलॉजी	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	3	1	1	0	10	0	0	0	0	
		चालू	3	1	0	0	2	0	0	0	1										
कुल																257	0	9	0	0	0

- अधियाचित पदो की विवरणी -
पद का नाम -प्राध्यापक

क्र० सं०	विभाग का नाम	बैकलॉग / चालू रिक्ति से	अनुसूचित जाति (1)		अनुसूचित जनजाति (2)		अत्यंत पिछड़ा वर्ग (3)		पिछड़ा वर्ग (4)		पिछड़े वर्गों की महिलाएं (5)	अनारक्षित (6)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (7)		कुल रिक्त पद	स्वतंत्रता सनानी क पाता / पाती / नाती / नातीनी का 2 %	दिव्यांग को 4 %			
			कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या		कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	वी० आई०	डी० डी०			ओ० एच०	एम० डी०		
1	एनाटॉमी	बैकलॉग से	2		0		3		1		0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	
		चालू	1	0	0	0	0	0	0	1											
2	निश्चेतना	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	6	2	2	0	15	0	1	0	0	0
		चालू	1	0	0	0	2	0	3	1	1										
3	बायोकेमिस्ट्री	बैकलॉग से	2		0		2		0		0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
		चालू	1	0	0	0	1	0	0	0	1										
4	दंत रोग	बैकलॉग से	1		0		2		1		0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
		चालू	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
5	नेत्र रोग	बैकलॉग से	1		0		0		1		0	3	1	1	0	10	0	0	0	0	0
		चालू	1	0	0	0	1	0	1	0	1										
6	नाक, कान एवं गला विभाग	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	6	2	2	0	15	0	1	0	0	0
		चालू	1	0	0	0	3	1	2	0	1										
7	एफ०एम०टी०	बैकलॉग से	2		0		2		1		0	3	1	1	0	13	0	1	0	0	0
		चालू	1	0	0	0	1	0	1	0	1										
8	माइक्रोबायोलॉजी	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	5	2	2	0	15	0	1	0	0	0
		चालू	3	1	0	0	3	1	1	0	1										
9	ओपधि	बैकलॉग से	3		0		2		1		1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
		चालू	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
10	हड्डी रोग	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	4	1	1	0	10	0	0	0	0	0
		चालू	2	0	0	0	2	0	0	0	1										
11	मनोरोग	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	4	1	1	0	10	0	0	0	0	0
		चालू	2	0	0	0	3	1	0	0	0										
12	फिजियोलॉजी	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	5	2	1	0	11	0	0	0	0	0
		चालू	2	0	0	0	2	0	0	0	1										
13	पी०एस०एम०	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	3	1	1	0	10	0	0	0	0	0
		चालू	3	1	0	0	2	0	0	0	1										
14	पैथोलॉजी	बैकलॉग से	0		0		0		0		0	3	1	1	0	9	0	0	0	0	0
		चालू	3	1	0	0	1	0	0	0	1										

AK